



**कार्यालय, अनुमण्डल पदाधिकारी, बाढ़ (पटना)।**  
**(आपूर्ति शाखा)**

**(प्रेस-विज्ञप्ति संख्या-01 / 2021)**

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के विभागीय 'बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियन्त्रण) आदेश, 2016' के अन्तर्गत बाढ़ अनुमण्डल के विभिन्न प्रखण्डों में उचित मूल्य की दुकान की नई अनुज्ञाप्ति हेतु विज्ञापन सं-01/2017 प्रकाशित कर आवेदन आमंत्रित किया गया था। जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में समीक्षापरान्त बाढ़ अनुमण्डल अन्तर्गत संबंधित पंचायतों में चिन्हित व्यापार रथल हेतु कुल 03 रिक्त जन वितरण प्रणाली दुकानों की नई अनुज्ञाप्ति के लिए योग्य आवेदकों से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

**01 आवेदन पत्र जमा करने की विधि एवं फार्म:-** पूर्णरूपेण भरा हुआ आवेदन-पत्र व्यक्ति से विहित अनुसूची-01 तथा स्वयं सहायता समूह, महिलाओं की सहयोग समितियाँ/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ से विहित अनुसूची-02 में अनुमण्डल पदाधिकारी, बाढ़ के कार्यालय में दिनांक 21.05.2021 संख्या 05:00 बजे तक कार्यालय अवधि में निर्धारित कॉर्टेंटर पर बंद लिफाफे में या निवंधित डाक के माध्यम से प्राप्त कराया जा सकेगा। जिस रिक्ति के विरुद्ध आवेदन दिया जा रहा है, उसका स्पष्ट उल्लेख लिफाफे पर रहना चाहिए। आवेदन प्रपत्र अनुमण्डल कार्यालय से प्राप्त किया जा सकेगा।

**02 आयु/शैक्षणिक योग्यता:-**

- (क) न्युनतम आयु—18 वर्ष।
- (ख) न्युनतम शैक्षणिक योग्यता—मैट्रिक पास।
- (ग) कम्प्यूटर ज्ञान रखने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी।
- (घ) कम्प्यूटर ज्ञान की समानता होने पर अधिक शैक्षणिक योग्यता को प्राथमिकता दी जायेगी।
- (ङ) समान शैक्षणिक योग्यता की स्थिति में अधिक प्राप्ताक वाले को प्राथमिकता दी जायेगी।
- (च) समान शैक्षणिक योग्यता एवं प्राप्ताक की समानता होने पर अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दी जायेगा।

**03 उचित मूल्य की दुकान के आवंटन में प्राथमिकताएँ (आरक्षण के प्रावधानान्तर्गत) :-**

- (क) स्वयं सहायता समूह,
  - (ख) महिलाओं की सहयोग समितियाँ,
  - (ग) पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ,
  - (घ) शिक्षित बेरोज़ार,
  - (ङ) संबंधित पंचायत अथवा वार्ड (नगर क्षेत्र) के निवासी को प्राथमिकता दी जायेगी।
- \* स्वयं सहायता समूहों या महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियों की कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य जिस वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्गों की महिलाएँ तथा सामान्य) के रहेंगे, तो ऐसे स्वयं सहायता समूहों या महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियों की गणना उनकी आरक्षण स्थिति के अवधारण के प्रयोजनान्तर उसी वर्ग में की जायेगी।

**04 उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञाप्ति प्राप्ति की निरहीताएँ:-**

- (क) एक संयुक्त परिवार में एक से अधिक सदस्य को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी। पिता, माता, भाई, भाई की पत्नी (भासी), पति, पत्नी, पुत्र, पुत्रवधु और सौतेला भाई परिवार की परिभाषा में आयेंगे।
- (ख) मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, विधायक, विधान पार्षद, सांसद तथा नगर निकायों के निवारित सदस्य इस रूप में अपने कार्यकाल तक उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञाप्ति प्राप्त करने हेतु निरहीत (Disqualified) रहेंगे।
- (ग) आटा-चक्की के मालिक एवं उसके निकट संबंधियों को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।
- (घ) अवश्यक या पागल या दिवालिया को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।
- (ङ) आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) के अधीन अथवा अन्य किसी अपराधिक मामले में अंतिम रूप से न्यायालय द्वारा रिहाई व्यक्ति को उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञाप्ति आवंटित नहीं की जायेगी।
- (च) सरकार में लाभ का पद धारण करने वाले को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।

**05 चयन प्रक्रिया:-** सभी प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों की जाँच संबंधित प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/ आपूर्ति निरीक्षक द्वारा कराया जायेगा। जाँचोपरान्त अनुमण्डल पदाधिकारी अपनी अनुशंसा के साथ जिला स्तरीय चयन समिति को आवेदन पत्र प्रेषित करेंगे। जिला स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के उपरान्त अनुशंसित आवेदकों को मो 1000/- (एक हजार) रुपये का ट्रेजरी चालान के माध्यम से अनुज्ञाप्त शुल्क जमा करने के उपरान्त संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी-सह-अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञाप्ति निर्गत की जायेगी।

**06 आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि:-** विहित प्रपत्र में पूर्णरूपेण भरे हुए आवेदन पत्र आवश्यक सभी कागजातों के साथ दिनांक-21.05.2021 की संख्या-05:00 बजे तक अनुमण्डल कार्यालय, बाढ़ (पटना) के निर्धारित कॉर्टेंटर पर बंद लिफाफे में या निवंधित डाक के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा। निर्धारित तिथि एवं समय के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

**07 पंचायतवार/वार्डवार जन वितरण प्रणाली के दुकानों की रिक्तियों का विवरण निम्नवत है:-**

क्र०स०	प्रखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	रिक्ति का आरक्षण कोटि
1	2	3	4	6
1	बाढ़	नदावा	झुमरिया	अनुसूचित जाति
2	पट्टारक	पश्चिमी पट्टारक	पट्टारक	अ० पि० व० (ही० आ० म०)
3	घोसवरी	घोसवरी	धनकडोम	अनारक्षित (ही० आ० म०)

नोट: (1)-बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियन्त्रण) आदेश 2016, के अधीन उचित मूल्य की दुकान के लिए विनियोदित आवेदन प्रपत्र अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 में वर्णित विद्युओं से संबंधित सात्य आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

विस्तृत जानकारी के लिए state.bihar.gov.in/prdbihar पर देखा जा सकता है।

अनुमण्डल पदाधिकारी,  
बाढ़।

PR. No. 000390 (District) 2021-22

नोवल कोर्टेना के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं सहयोग हेतु Toll Free No.: **104** पर संपर्क कर सकते हैं।